

RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

Key Point

DATE

अक्टूबर

16

2024

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index



By Ankit Avasthi Sir

दक्षिण एशिया के जनसंख्या इतिहास को उजागर करने के लिए जीनोमिक अध्ययन / Genomic studies to unravel population history of South Asia

भारत सरकार ने दक्षिण एशिया के जनसंख्या इतिहास को उजागर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया है, जिसमें प्राचीन और आधुनिक जीनोमिक्स का उपयोग किया जाएगा। इस अध्ययन का लक्ष्य प्राचीन भारतीय समुदायों की उत्पत्ति और प्रवासन पैटर्न के बारे में बहसों और परस्पर विरोधी सिद्धांतों को हल करना है।

अध्ययन का प्रबंधन और सहयोग:

यह अनुसंधान भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआई) द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके साथ ही, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ, का सहयोग भी लिया जा रहा है।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएं:**दायरा और फोकस:**

- यह परियोजना 300 प्राचीन कंकाल अवशेषों का अध्ययन करेगी, जिनमें मुख्य रूप से कपाल की हड्डियाँ, दांतों के टुकड़े और अन्य हड्डियों के टुकड़े शामिल हैं।
- ये अवशेष भारत और पाकिस्तान के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से एकत्र किए गए हैं, जिनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं।

उद्देश्य:

- इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अवशेषों से डीएनए निकालकर प्राचीन भारतीय समुदायों की उत्पत्ति का पता लगाना है।
- यह प्राचीन लोगों की जीवन स्थितियों, आहार, रोग की व्यापकता और प्रवासन पैटर्न पर भी प्रकाश डालेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि समय के साथ आबादी कैसे आगे बढ़ी और एक-दूसरे के साथ कैसे परस्पर क्रिया की।

अपेक्षित परिणाम और आधुनिक प्रासंगिकता:

- इस शोध से दक्षिण एशिया में प्राचीन आबादी की उत्पत्ति और प्रवासन पैटर्न के संबंध में निर्णायक साक्ष्य मिल सकता है।
- प्राचीन और आधुनिक डीएनए की तुलना करके, शोधकर्ता इस क्षेत्र के जटिल प्रवास इतिहास को उजागर करने का प्रयास करेंगे।

स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण: यह अध्ययन यह भी बताएगा कि प्राचीन भारतीय आबादी किस प्रकार विस्तारित हुई और आपस में कैसे परस्पर क्रिया हुई।

आनुवंशिक निरंतरता को समझना: प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि जनसंख्या की आनुवंशिक संरचना में समय के साथ कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

आर्यन प्रवास पर बहस: इस परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रश्नों में से एक का समाधान करना है: क्या आर्यों का प्रवास हुआ था?

आर्यन आक्रमण सिद्धांत: 19वीं शताब्दी में प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार, आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वदेशी सिद्धांत: कई आधुनिक भारतीय पुरातत्वविदों का तर्क है कि आर्य इस क्षेत्र के मूल निवासी थे।



✓ **जीनोमिक्स:** जीनोमिक्स किसी जीव के डीएनए के पूरे सेट का अध्ययन है, जिसमें सभी जीन शामिल होते हैं। यह अध्ययन प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के डीएनए का विश्लेषण करता है। प्राचीन डीएनए कंकाल अवशेषों से प्राप्त किया जाता है, जबकि आधुनिक डीएनए वर्तमान आबादी से लिया जाता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक संबंधों को समझना और विभिन्न आबादियों के आनुवंशिक संबंधों का पता लगाना है।

✓ **डीएनए निष्कर्षण:** डीएनए निष्कर्षण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जैविक नमूनों से डीएनए को अलग किया जाता है। प्राचीन अवशेषों में सामग्री के क्षरण के कारण इस प्रक्रिया में कई चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कि डीएनए की मात्रा कम होना और उसका गुणवत्ता में गिरावट आना। इसके बावजूद, वैज्ञानिक आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर इन चुनौतियों का सामना करते हैं ताकि उच्च गुणवत्ता वाले डीएनए का निष्कर्षण किया जा सके।

✓ **जनसंख्या इतिहास:** जनसंख्या इतिहास अध्ययन करता है कि प्राचीन आबादी किस प्रकार प्रवासित हुई, बसी, और विकसित हुई। यह अध्ययन आधुनिक और प्राचीन लोगों के बीच आनुवंशिक संबंधों पर केंद्रित होता है। जनसंख्या इतिहास का विश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों का विकास कैसे हुआ और उनका आनुवंशिक संबंध क्या है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) / National Electricity Plan (Transmission)

भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के साथ एक विस्तृत राष्ट्रीय विद्युत योजना (ट्रांसमिशन) तैयार की है। यह योजना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई है। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के ट्रांसमिशन को सक्षम करना और इस क्षेत्र में आवश्यक भंडारण प्रणालियों को ध्यान में रखना है।

मुख्य बिंदु:

- ✓ **भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता:**
 - ✦ 47 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 31 गीगावाट पंप भंडारण संयंत्र का विकास।
 - ✦ यह प्रणालियां अक्षय ऊर्जा के साथ जोड़ी जाएंगी।
- ✓ **ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया केंद्रों तक ट्रांसमिशन:**
 - ✦ मुंद्रा, कांडला, गोपालपुर, पारादीप, तूतीकोरिन, विजाग, मैंगलोर जैसे तटीय स्थानों पर स्थापित ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया केंद्रों तक बिजली पहुंचाने की योजना बनाई गई है।
- ✓ **ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार:**
 - ✦ 2022-23 से 2031-32 तक 1,91,000 सीकेएम से अधिक ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार।
 - ✦ 1270 जीवीए परिवर्तन क्षमता को जोड़ने की योजना है।
 - ✦ 33 गीगावाट एचवीडीसी बाई-पोल लिंक की स्थापना।
 - ✦ अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता को 2032 तक 168 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य।
- ✓ **अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन:**
 - ✦ नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ सीमा पार इंटरकनेक्शन।
 - ✦ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संभावित ट्रांसमिशन कनेक्शन।
- ✓ **नई प्रौद्योगिकी विकल्प:**
 - ✦ हाइब्रिड सबस्टेशन, मोनोपोल संरचनाएं, डायनेमिक लाइन रेटिंग, हाई परफॉर्मंस कंडक्टर।
 - ✦ ऑपरेटिंग वोल्टेज को 1200 केवी एसी तक अपग्रेड करने की योजना।
 - ✦ ट्रांसमिशन सेक्टर में कौशल विकास।
- ✓ **निवेश के अवसर:** 2032 तक ट्रांसमिशन सेक्टर में 9,15,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का अनुमान है। यह योजना निजी और सार्वजनिक निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करती है।

निष्कर्ष: यह योजना भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अक्षय ऊर्जा के बढ़ते महत्व को देखते हुए, ट्रांसमिशन नेटवर्क का यह विस्तार भारत के ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।



केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के बारे में:

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की स्थापना पहले विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत की गई थी, जिसे बाद में विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्र की समग्र योजना और विकास में योगदान देना है।

मुख्य बिंदु:

☑ संरचना:

- ✦ CEA में अधिकतम 14 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है।
- ✦ इनमें से अधिकतम 8 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक होते हैं।

☑ कार्य:

- ✦ राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजनाओं पर केंद्र सरकार को सलाह देना।
- ✦ तकनीकी मानकों को निर्दिष्ट करना, जैसे विद्युत संयंत्रों, लाइनों, और ग्रिड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए आवश्यक मानक।
- ✦ विद्युत उत्पादन, पारेषण, और वितरण से संबंधित सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना।

5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 / 5th National Water Awards 2023

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की।

- ✓ इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत में जल संरक्षण और जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पहचान दिलाना और प्रेरित करना है।
- ✓ जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) द्वारा 09 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें संयुक्त विजेता भी शामिल हैं।
- ✓ यह पुरस्कार वितरण समारोह 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य श्रेणियां और विजेता:

- ✓ सर्वश्रेष्ठ राज्य:
 - ✦ प्रथम स्थान: ओडिशा
 - ✦ द्वितीय स्थान: उत्तर प्रदेश
 - ✦ तृतीय स्थान (संयुक्त): गुजरात और पुडुचेरी
- ✓ अन्य श्रेणियां:
 - ✦ सर्वश्रेष्ठ जिला
 - ✦ सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत
 - ✦ सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय
 - ✦ सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज
 - ✦ सर्वश्रेष्ठ उद्योग
 - ✦ सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ
 - ✦ सर्वश्रेष्ठ संस्थान (स्कूल या कॉलेज के अलावा)
 - ✦ सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज

जल शक्ति मंत्रालय की पहल:

- ✓ जल शक्ति मंत्रालय, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, देश में जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्व को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
- ✓ इस दिशा में जागरूकता फैलाने और जल के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था।
- ✓ यह पुरस्कार जल समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, और यह लोगों और संगठनों को जल संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है।
- ✓ के प्रति जागरूकता पैदा करता है।
- ✓ साथ ही, यह जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों में साझेदारी और जनभागीदारी को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करता है।



पुरस्कार का आवेदन और चयन प्रक्रिया:

- ✦ 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए 686 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी जांच और मूल्यांकन एक जूरी समिति द्वारा किया गया।
- ✦ चयन प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदनों की जांच की, जिसके आधार पर 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं का चयन किया गया।

पुरस्कार का उद्देश्य:

- ✦ यह पुरस्कार देशभर के व्यक्तियों और संगठनों के जल संरक्षण के प्रति किए गए प्रयासों को मान्यता देता है और लोगों में जल के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करता है।
- ✦ साथ ही, यह जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों में साझेदारी और जनभागीदारी को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 / Article 142 of the Indian Constitution

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अनुच्छेद 142 के तहत पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों और पशुओं के खिलाफ यौन अपराधों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) में शामिल करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने यह कहते हुए इस याचिका को अस्वीकार कर दिया कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका के बजाए विधायिका को निर्णय लेना चाहिए।

अनुच्छेद 142: सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियाँ

- ✓ अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण अधिकार प्रदान करता है, जिससे वह किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सके।
- ✓ इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मामलों में न्याय प्रदान करना है जहां मौजूदा कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं होते या न्याय के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
- ✓ यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को इस शक्ति से सशक्त बनाता है कि वह न केवल कानूनी मामलों का निपटारा कर सके बल्कि सामाजिक और नैतिक न्याय को भी सुनिश्चित कर सके।

अनुच्छेद 142(1) का महत्व:


- ✦ अनुच्छेद 142(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित कर सके।
- ✦ इसके तहत पारित आदेश भारत के सभी हिस्सों में लागू होते हैं, और संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार इसे लागू किया जाता है।
- ✦ जब तक संसद द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुसार इसे लागू किया जाता है।

अनुच्छेद 142 का विशेष उपयोग:

- ☑ सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग उन मामलों में करता है, जहाँ मौजूदा कानून या विधायी प्रावधान पर्याप्त नहीं होते।
- ☑ इस अनुच्छेद का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है, जब न्यायालय महसूस करता है कि न्याय की पूर्णता के लिए असाधारण हस्तक्षेप आवश्यक है।
- ☑ हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 142 का उपयोग मूल कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण मामले जहाँ अनुच्छेद 142 का उपयोग किया गया:

- बाबरी मस्जिद मामला:** सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए विवादित भूमि को केंद्र सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपने का निर्देश दिया था। इस ऐतिहासिक निर्णय में अनुच्छेद 142 ने न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भोपाल गैस त्रासदी:** भोपाल गैस कांड, जो भारत के सबसे घातक औद्योगिक आपदाओं में से एक था, में पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया। यूनिन कार्बाइड बनाम केंद्र सरकार मामले में कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश पारित किया।



भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के बारे में:

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) को प्रतिस्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसने कई प्रावधानों में बदलाव किए हैं, नए अपराधों को शामिल किया है, और कुछ पुराने अपराधों को समाप्त किया है। BNS 2023 ने IPC की 511 धाराओं को शामिल किया है, जबकि अधिकांश IPC के प्रावधानों को बनाए रखा गया है।

नवीन अपराध:

- ✓ **विवाह का वादा:** झूठे या मिथ्या विवाह वादे को अपराध घोषित किया गया।
- ✓ **मॉब लिंचिंग:** मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम से संबंधित हत्याओं को संहिताबद्ध किया गया।
- ✓ **आत्महत्या का प्रयास:** लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य से रोकने के प्रयास में आत्महत्या करने का प्रयास अपराध माना गया।
- ✓ **सामुदायिक सेवा:** चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया।

विलोपन:

- ☑ **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377 को पूरी तरह से निरस्त किया गया।
- ☑ **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुसार व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया।
- ☑ **ठग:** IPC की धारा 310 को पूरी तरह हटा दिया गया।
- ☑ **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिए संशोधित किया गया है।

विद्युत चालित वाहन (MAHA-EV) मिशन Electric Vehicle (MAHA-EV) Mission

हाल ही में नव संचालित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने अपनी प्रारंभिक दो पहलों की घोषणा की है:

1. प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान (PMECRG)
2. व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति से संबंधित मिशन – विद्युत चालित वाहन (MAHA-EV)

प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान (PMECRG):

- ✓ **उद्देश्य:** यह योजना प्रारंभिक कैरियर शोधकर्ताओं को भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की उन्नति में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती है, ताकि वे देश की परिवर्तनकारी यात्रा में शामिल हो सकें।

विद्युत चालित वाहन (MAHA-EV) मिशन:

- ✓ **उद्देश्य:** यह मिशन विद्युत चालित वाहनों (EV) के विभिन्न कल-पुर्जों, विशेषकर बैटरी सेल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें एवं ड्राइव (पीईएमडी) और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ✓ **महत्व:**
 - आयात पर निर्भरता कम करना।
 - घरेलू नवाचार को बढ़ावा देना।
 - भारत को विद्युत चालित वाहन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनाना।



कार्यक्रम का डिजाइन:

- ✓ **मिशन का भाग:** MAHA-EV मिशन, ANRF के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति (MAHA) कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बहु-संस्थागत, बहु-विषयक और बहु-जांचकर्ता सहयोग को उत्प्रेरित करना है।
- ✓ **प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान:**
 - ट्रॉपिकल EV बैटरी एवं बैटरी सेल
 - पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें एवं ड्राइव (पीईएमडी)
 - विद्युत चालित वाहनों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
- ✓ **लक्ष्य:** यह मिशन इलेक्ट्रिक वाहनों के आवश्यक कल-पुर्जों के डिजाइन और विकास में घरेलू क्षमताओं को बढ़ाएगा।

अविष्य की दिशा:

- ✓ ANRF का लक्ष्य एक ऐसा जीवंत इकोसिस्टम विकसित करना है जो अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में शैक्षणिक, अनुसंधान और औद्योगिक क्षेत्रों में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा दे।

दिल्ली उच्च न्यायालय (एचसी) ने दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं में सुधार के निर्देश जारी किए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मास्टर अर्नेश शॉ बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में दुर्लभ बीमारियों के लिए दवाओं की पहुंच और कीमतों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।



मुख्य निर्देश:

- ✓ **राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष (NRDF) का गठन:** भारत संघ को दवाओं की कीमतें कम करने और दुर्लभ बीमारियों के इलाज की पहुंच बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय दुर्लभ रोग कोष (NRDF) बनाने का निर्देश दिया गया है।
- ✓ **CSR योगदान:** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में संशोधन करते हुए, दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दान को सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत मान्यता दी जाएगी ताकि कंपनियां इसमें योगदान कर सकें।
- ✓ **प्रशासन:** एनआरडीएफ का प्रशासन राष्ट्रीय दुर्लभ रोग प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नोडल अधिकारी शामिल होंगे।
- ✓ **केंद्रीकृत सूचना पोर्टल:** 3 महीने के भीतर एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सूचना पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसमें रोगी रजिस्ट्री और उपलब्ध उपचार की जानकारी होगी।
- ✓ **फास्ट ट्रेक अनुमोदन:** डीसीजीआई और सीडीएससीओ को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए एक समर्पित फास्ट ट्रेक अनुमोदन प्रक्रिया 60 दिनों के भीतर तैयार करनी होगी।

दवा कंपनियों के लिए निर्देश:

- ✓ **उपलब्धता सुनिश्चित करना:** दवा कंपनियों को भारत में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाओं और चिकित्सा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, चाहे यह उत्पादन के माध्यम से हो या आयात के माध्यम से।
- ✓ **स्थानीय विनिर्माण:** जो कंपनियां दुर्लभ बीमारियों की दवाओं का आयात करती हैं, उन्हें 90 दिनों के भीतर भारत में स्थानीय विनिर्माण और वितरण सुविधाएं स्थापित करने के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत करनी होगी।

दुर्लभ बीमारियों के बारे में: WHO के अनुसार, दुर्लभ बीमारी वह होती है जिसकी व्यापकता प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम होती है। ये बीमारियां गंभीर और दुर्बल करने वाली होती हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस और पोन्पे रोग।

दुर्लभ बीमारियों के लिए उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021
- राष्ट्रीय आरोग्य निधि

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) क्या है?

What is the Inter-Parliamentary Union (IPU)?

हाल ही में जिनेवा में आयोजित IPU की 149वीं बैठक में भारतीय लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए बहुपक्षवाद और वैश्विक सहयोग के महत्व पर जोर दिया।



Inter-Parliamentary Union
for democracy for everyone.

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) के बारे में:

अंतर-संसदीय संघ (IPU) दुनिया भर की संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका उद्देश्य प्रतिनिधि लोकतंत्र और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना है।

अंतर-संसदीय संघ के बारे में मुख्य तथ्य:

- ✓ **स्थापना:** 1889 में पेरिस में विश्व शांति और प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित।
- ✓ **मुख्यालय:** 1921 में IPU का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित किया गया।
- ✓ **सदस्यता:** इसमें 180 सदस्यीय संसदें और 15 सहयोगी सदस्य शामिल हैं।
- ✓ **उद्देश्य:**
 - ✦ संसदों को अधिक मजबूत, युवा, लिंग-संतुलित, और विविध बनाना।
 - ✦ सांसदों के मानवाधिकारों की रक्षा करना।
 - ✦ विश्व शांति, लोकतंत्र, और सतत विकास को बढ़ावा देना।

IPU की संरचना:

- ✓ **IPU असेंबली:** यह IPU का प्रमुख वैधानिक निकाय है जो राजनीतिक मुद्दों पर IPU के विचार प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न देशों के सांसद अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के लिए सिफारिशें करते हैं।
- ✓ **गवर्निंग काउंसिल:** यह IPU का पूर्ण नीति निर्धारण निकाय है। प्रत्येक सदस्य संसद के तीन प्रतिनिधियों के साथ इसमें भाग लेता है। गवर्निंग काउंसिल IPU का वार्षिक कार्यक्रम और बजट निर्धारित करती है।
- ✓ **कार्यकारी समिति:** 17 सदस्यीय इस निकाय का कार्य IPU के प्रशासन की देखरेख करना और गवर्निंग काउंसिल को सलाह देना है। समिति के 15 सदस्य चार साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। IPU का अध्यक्ष इस समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होता है।
- ✓ **स्थायी समितियाँ:** IPU की शासी परिषद द्वारा IPU असेंबली के कार्यों में सहायता के लिए तीन स्थायी समितियाँ गठित की गई हैं।

वित्तपोषण: IPU का वित्तपोषण मुख्य रूप से इसके सदस्य देशों द्वारा सार्वजनिक निधि से किया जाता है। इसका उद्देश्य संसदीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने में सहायता करना है।

THAAD मिसाइल प्रणाली
THAAD missile system

THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) मिसाइल प्रणाली एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से बचाव के लिए विकसित किया गया है। इज़राइल में हिज़बुल्लाह आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य अभियान के बीच, अमेरिका ने इज़राइल में THAAD प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है। यह तैनाती इज़राइल की सुरक्षा को मजबूत करने और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ इसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से है।



THAAD मिसाइल प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ:

- ✓ **प्रमुख कार्य:** यह प्रणाली छोटी, मध्यम, और मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है, जिससे वे लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय हो जाती हैं।
- ✓ **मारने के लिए प्रहार:** THAAD "हिट-टू-किल" पद्धति का उपयोग करती है, जो आने वाली मिसाइल को शारीरिक रूप से टकराकर नष्ट कर देती है, इसे नष्ट करने के लिए विस्फोटकों पर निर्भर नहीं करती।
- ✓ **गतिज ऊर्जा:** यह प्रणाली परमाणु हथियारों सहित आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए केवल गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है, जिससे वह मिसाइलों को बिना विस्फोटक उपयोग किए प्रभावी ढंग से रोकती है।
- ✓ **लक्ष्य सीमा:** THAAD 150 से 200 किलोमीटर (93-124 मील) की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को मार सकता है और इसे एक बड़े क्षेत्र की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

THAAD का विकास और तैनाती:

- ✓ **प्रारंभिक विकास:** THAAD प्रणाली को 1991 के फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों से मिले अनुभवों के आधार पर विकसित किया गया था।
- ✓ **पहली तैनाती:** 2008 में, अमेरिका ने इज़राइल में THAAD प्रणाली का एक हिस्सा, प्रारंभिक मिसाइल चेतावनी रडार, तैनात किया।
- ✓ **अन्य तैनाती:** 2012 और 2019 में भी इसी तरह की तैनातियाँ की गईं, जिससे इज़राइल की रक्षा प्रणाली और मजबूत हुई और उसे एक सैन्य शक्ति के रूप में उभरने में मदद मिली।

THAAD प्रणाली की यह तैनाती इज़राइल को हिज़बुल्लाह के संभावित मिसाइल खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

भारत और कनाडा संबंध India and Canada Relations

हाल ही में **भारत और कनाडा** के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और कुछ **कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित** कर दिया। इस विवाद की मुख्य वजह कनाडा द्वारा कुछ भारतीय अधिकारियों की राजनयिक छूट समाप्त करने का अनुरोध है, जिसे भारत ने अस्वीकार करते हुए हास्यास्पद बताया है।

राजनयिक उन्मुक्ति और वियना कन्वेंशन:

राजनयिक उन्मुक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसके तहत विदेशी सरकारी अधिकारी अपनी आधिकारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए स्थानीय कानूनों और प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से मुक्त होते हैं। **वियना कन्वेंशन (1961)** के अंतर्गत राजनयिक कर्मचारियों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं, जिसे भारत ने **1965** में स्वीकार किया और **1972** में राष्ट्रीय कानून के रूप में लागू किया।

भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट के कारण:

- ✓ **खालिस्तानी चरमपंथ:** कनाडा द्वारा **सिख अलगाववादी समूहों** का समर्थन भारत की संप्रभुता के खिलाफ समझा जा रहा है। **2023** में **सिख राज्य** के लिए आयोजित जनमत संग्रह से भी तनाव बढ़ा।
- ✓ **सुरक्षा सहयोग:** कनाडा में बसे **आतंकवादियों और संगठित अपराधियों** के खिलाफ भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों की अनदेखी ने सुरक्षा सहयोग में बाधा उत्पन्न की है।
- ✓ **वाणिज्यिक समझौते:** व्यापक **आर्थिक भागीदारी और विदेशी निवेश संवर्धन** जैसे समझौतों में कोई प्रगति न होना भी संबंधों को प्रभावित कर रहा है।
- ✓ **वोट बैंक राजनीति:** कनाडा में विशेषकर **ओन्टारियो और ब्रिटिश कोलंबिया** में सिख समुदाय एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जिसका प्रभाव **कनाडा की लिबरल पार्टी** की राजनीति पर दिखता है।

भारत-कनाडा द्विपक्षीय सहयोग:

- ✓ **व्यापार:** 2023 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार **7.65 बिलियन अमरीकी डॉलर** तक गिर गया, जो 2022 में **10.50 बिलियन** था।
- ✓ **कानूनी सहयोग:** 1994 में दोनों देशों के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और **1987** में **प्रत्यर्पण संधि** भी हुई थी।
- ✓ **परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग:** 2010 में **असैन्य परमाणु सहयोग** पर समझौता हुआ था। इसके अलावा, भारत के **ISRO** ने 2018 में कनाडा का पहला निम्न **पृथ्वी कक्षा (LEO) उपग्रह** सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।

माउंट एडम्स Mount Adams

माउंट एडम्स की हालिया भूकंपीय गतिविधि से इसकी सतह के नीचे **मैग्मा का संचलन और भविष्य में विस्फोट** की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। वायुमंडलीय परिस्थितियों और ग्लेशियरों पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

माउंट एडम्स: वाशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी

- ✓ माउंट एडम्स, वाशिंगटन राज्य का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है।
- ✓ यह एक **स्ट्रेटो ज्वालामुखी** है, जो कि ऊंचा और शंकु के आकार का ज्वालामुखी होता है। इसकी ऊंचाई **12,277 फीट (3,742 मीटर)** है और यह **18 मील (29 किलोमीटर) चौड़ा** है।
- ✓ आयतन के आधार पर, **माउंट एडम्स, वाशिंगटन की सबसे ऊँची चोटी** माउंट रेनियर से भी बड़ा है।
- ✓ यह ज्वालामुखी **माउंट एडम्स ज्वालामुखी क्षेत्र** के केंद्र में स्थित है, जो कि **1,250 वर्ग किलोमीटर** का विशाल क्षेत्र है, जिसमें **120** से अधिक बेसाल्टिक ज्वालामुखी शामिल हैं।
- ✓ इन ज्वालामुखियों ने **स्पैटर और स्कोरिया शंकु, शील्ड ज्वालामुखी, और बड़े लावा प्रवाह** बनाए हैं।



माउंट एडम्स की विशेषताएँ:

- ⇨ **सक्रियता:** माउंट एडम्स में भले ही हाल के वर्षों में बड़ी गतिविधि न देखी गई हो, लेकिन हाल ही में इसमें भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि हुई है। इसकी पिछली ज्ञात सक्रियता **3,800 और 7,600 वर्ष पूर्व** हुई थी, जब पृथ्वी पर मानवता पाषाण युग में थी।
- ⇨ **ग्लेशियर:** माउंट एडम्स के पास **10 से अधिक सक्रिय ग्लेशियर** हैं, जो आसपास के जंगलों, नदियों और घास के मैदानों को पानी प्रदान करते हैं।

स्ट्रेटो ज्वालामुखी क्या है?

स्ट्रेटो ज्वालामुखी, जिसे **मिश्रित ज्वालामुखी** भी कहा जाता है, **ऊँचे, खड़ी ढलान** वाले और **शंकु के आकार के** ज्वालामुखी होते हैं। इन्हें लावा और राख की परतों से बनाया जाता है, और इनके भीतर का **मैग्मा चिपचिपा** होता है। यह **चिपचिपा मैग्मा गैसों** को अपने अंदर फंसा लेता है, जिससे **विस्फोटक विस्फोट** होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- ✓ **संरचना:** लावा और राख की कई परतों से बने होते हैं।
- ✓ **उपस्थिति:** ऊँची चोटियों और खड़ी ढलानों के साथ शंकु के आकार के होते हैं।
- ✓ **विस्फोट:** अत्यधिक विस्फोटक हो सकते हैं क्योंकि मैग्मा में गैसें फंसी रहती हैं।
- ✓ **स्थान:** यह टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों पर उत्पन्न होते हैं, खासकर जहां **महाद्वीपीय प्लेटें महासागरीय प्लेटों** पर हावी होती हैं।
- ✓ **प्रसार:** दुनिया भर के **60% ज्वालामुखी** स्ट्रेटो ज्वालामुखी होते हैं, और लगभग **85% प्रशांत महासागर के "रिंग ऑफ फायर"** में स्थित हैं।

डिप्थीरिया: एक संक्रामक रोग Diphtheria: An Infectious Disease

हाल ही में डिप्थीरिया के मामलों में वृद्धि के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक टीम ने राजस्थान के डीग क्षेत्र का दौरा किया है।



डिप्थीरिया के बारे में:

डिप्थीरिया एक गंभीर संक्रामक जीवाणु संक्रमण है, जो मुख्य रूप से नाक और गले को प्रभावित करता है।

कारण: डिप्थीरिया का कारण कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के उपभेद होते हैं, जो विष उत्पन्न करता है, जिससे गंभीर जटिलताएँ हो सकती हैं।

संचरण:

- ✓ **संक्रमण का तरीका:** यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, खासकर खाँसने या छींकने से निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से।
- ✓ **संपर्क से संक्रमण:** संक्रमित व्यक्तियों के खुले घावों या अल्सर के संपर्क से भी संक्रमण हो सकता है।
- ✓ **त्वचा संक्रमण:** यह जीवाणु त्वचा को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन इससे होने वाले घाव शायद ही गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं।

लक्षण: डिप्थीरिया के लक्षणों में शामिल हैं:

- गले और टॉन्सिल पर मोटी, ग्रे झिल्ली का निर्माण
- गले में खराश और स्वर बैठना
- गर्दन में सूजी हुई ग्रंथियाँ (बड़े हुए लिम्फ नोड्स)
- सांस लेने में कठिनाई

जटिलताएँ: यदि डिप्थीरिया का उपचार न किया जाए, तो यह हृदय, गुर्दे और तंत्रिका तंत्र जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुँचा सकता है।

वर्तमान उपचार: उपचार में निम्नलिखित एण्थिबियोटिक्स शामिल हैं:

- ✓ **विष का निष्प्रभावीकरण:** डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन (DAT) का उपयोग अनबाउंड विषाक्त पदार्थों को निष्प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
- ✓ **एंटीबायोटिक्स:** बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रशासन।
- ✓ **निगरानी और सहायक देखभाल:** वायुमार्ग अवरोध और मायोकार्डिटिस जैसी जटिलताओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

WHO की सिफारिशें: WHO ने डिप्थीरिया के उपचार के संबंध में कुछ नई सिफारिशें की हैं:

- ✓ **एंटीबायोटिक वरीयता:** डिप्थीरिया वाले रोगियों में पेनिसिलिन की तुलना में मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक (जैसे एज़िथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन) के उपयोग की सिफारिश की जाती है।

जीवन प्रत्याशा की वृद्धि संबंधी जटिलताएँ Complications related to increased life expectancy

"इम्प्लॉसिविलिटी ऑफ रेडिकल लाइफ एक्सटेंशन इन ह्यूमंस इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी" शीर्षक वाले एक नए अध्ययन ने यह स्पष्ट किया है कि चिकित्सा और तकनीकी प्रगति के बावजूद जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की गति धीमी हो रही है।



अध्ययन का विवरण:

इस अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने वर्ष 1990 से 2019 के बीच जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहाँ जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- ✓ **जीवन प्रत्याशा में वृद्धि:** अध्ययन से पता चला है कि इन उच्च जीवन प्रत्याशा वाले देशों में जीवन प्रत्याशा में केवल 6.5 वर्ष की वृद्धि हुई है, जो पिछले तीन दशकों में अपेक्षाकृत कम है।
- ✓ **बीमारियों का प्रभाव:** कैंसर और हृदयाघात जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में सुधार करने के बजाय, शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसी नई दवाओं की आवश्यकता है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकें।
- ✓ **लड़कियों और लड़कों की संभावनाएँ:** वर्तमान अनुमानों के अनुसार, इन क्षेत्रों में लड़कियों के लिए 100 वर्ष की आयु तक पहुँचने की संभावना 5.3% है, जबकि लड़कों के लिए यह केवल 1.8% है।
- ✓ **अंगों में कमजोरी:** भले ही सामान्य बीमारियों का उन्मूलन कर दिया जाए, उम्र बढ़ने के कारण अंगों की कमजोरी जीवन प्रत्याशा की वृद्धि को सीमित कर देती है।

दवाओं का परीक्षण:

जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के लिए कई दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है, जिनमें मेटफॉर्मिन भी शामिल है। यह एक कम लागत वाली मधुमेह की दवा है, जो नर बंदरों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में प्रभावी साबित हुई है।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन यह संकेत करता है कि हालांकि चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की दर अपेक्षित स्तर पर नहीं बढ़ रही है। नए उपचारों और दवाओं के विकास की आवश्यकता है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें, ताकि हम जीवन प्रत्याशा को और बढ़ा सकें।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!





APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Pathshala
एथिका ज्ञानेन अध्यायंति विद्यां

Subject

HISTORY ,POLITY

GEOGRAPHY

ECONOMICS

Price

1499/-

Validity
1 Year

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION






Hand Written
Notes


Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ Only
1999

4 पुस्तकों
का
सम्पूर्ण सेट



अधिक जानकारी के लिए दिए
गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**

RRB NTPC

TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



Only

99 *Per Year*

Buy Now

